

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)-82/2020.6865 पटना, दिनांक :- 08/09/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, प0चम्पारण(बेतिया) के पत्रांक 358 दिनांक 18.05.2023 द्वारा श्री संदीप कुमार 'सोनू', विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03743) के विरुद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये अपने नवपदस्थापित शिविर से विगत 03 माह से अनुपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इनका कार्य पूर्व में असंतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप निदेशालय पत्रांक 2229 दिनांक 17.03.2023 से 02 माह का मानदेय स्थगित करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 4942 दिनांक 15.06.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में यह तथ्य दिया गया है कि ये घोर पारिवारिक संकट से गुजर रहे हैं, इनके छोटे भाई की पत्नी का तीसरी बार गर्भपात हो गया है, जिनके ईलाज में ये विगत 03 महीनों से लगे हुए हैं। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि प0चम्पारण से इनके घर की दूरी 500 कि0मी0 होने की वजह से बार-बार आना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए मजबूरी वश अनुपस्थित रहना पड़ा है।

आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण में उठाये गये तथ्यों पर निदेशालय पत्रांक 5848 दिनांक 14.07.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 581 दिनांक 01.08.2023 द्वारा मंतव्य भेजा गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि ये पूर्व को लेकर मंतव्य भेजे जाने की तिथि तक लगभग 05 माह से अनुपस्थित हैं और अपने अनुपस्थिति के विरुद्ध कोई आवेदन भी उनके समक्ष समर्पित नहीं किये हैं, इस परिपेक्ष्य में इन पर विधि संगत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इन पर लगाए आरोप तदनुसार आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण पर बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा अपने उपर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में कोई ऐसी ठोस बात नहीं रखी गयी है। इनके भाई की पत्नी के कारण अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहना तर्क संगत नहीं है। साथ ही कार्यालय से इनके घर की दूरी का भी उल्लेख किया जाना मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भली भांति अपने कर्तव्य स्थल एवं घर की दूरी से अवगत हैं। इनके द्वारा अनुपस्थिति के संदर्भ में बहाने बाजी किया गया है। संचिका में रक्षित अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पूर्व में बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 1095 दिनांक 31.12.2022 के द्वारा इनके कार्यशैली एवं शिथिलता तथा अनुपस्थिति के कारण इन्हें सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी, जिसके आलोक में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने तथा भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए एक अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इस आलोक में इनका 02 माह का मानदेय कटौती इस चेतावनी के साथ किया गया था कि भविष्य में यदि इस तरह की पुनरावृत्ति की जाएगी तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान प्रतिवेदित आरोप एवं उनके स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि इन्हें अपने कार्य के प्रति कोई रुचि नहीं है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है। इस तरह के कर्मों से महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कार्यशैली एवं शिथिलता तथा बहानेबाजी के आधार पर मात्र सेवा को बनाए रखने के लिए समय-समय पर अतर्कसंगत बात को अमान्य करते हुए इनका संविदा नियोजन कार्यहित में उचित नहीं है।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम - 8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत श्री संदीप कुमार 'सोनू', विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03743) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)-82/2020..... 6865 भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना, दिनांक :- 08/09/2023
प्रतिलिपि :- श्री संदीप कुमार 'सोनू', विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03743), बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)-82/2020..... 6865 भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना, दिनांक :- 08/09/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)-82/2020..... 6865 भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना, दिनांक :- 08/09/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित श्री संदीप की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण